पत्रावली पेश हुई। ~~[illegible]~~/आज पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~/[illegible] में है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 5/11/26 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।

पत्रावली पेश। आवेदक अनुपस्थित है।

आवेदक अधिवक्ता ने अनुविभाग के समक्ष वर्तमान वाद दायर किया था। अनुविभाग ने वाद खारिज कर दिया। अपील न्यायालय के बाहर एक कक्ष में बैठा था। आवेदक उपस्थित नहीं हुआ। अतः अनुविभाग के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। आवेदक अधिवक्ता के पैरोकार सरकार की तरफ सुनी गई। पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा पत्रावली वापस भेजने का आदेश पारित किया जाता है तो रूटेट को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन अवलोकन किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128 का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात अनुसार आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रमाण से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रेवदर की पालना हेतु तकमील जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दिनांक से अंक की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रेवदर (राज०)

[illegible] पेश हुआ [illegible] का आदेश पारित किया जाता है, ~~[illegible]~~ [illegible] अनुपालन करते हुए [illegible] 5.11.26 तक [illegible]

अधिवक्ता